

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जयपुर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

सेवा पूर्व पत्रवादा के अन्तर्गत
 "प्राथमिक सेवा शिविर-2025"

आदेश:-

प्रार्थी को "खाता सुरक्षा" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार प्रमाणित/नायब तहसीलदार की जनाबन्दी सम्बन्धी प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जानी है) |
|---------|-------|-------------|--|--|
| 1. | धवाला | 101 | प्रकारामल पुत्र गिरधारी लाल जाति - महाजन हिस्सा - 1/30 सा. पे. खातेदार | प्रकारामन्द पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा - 1/30 जाति - महाजन सा. सेवावादा खातेदार |

(Signature)
 सहायक पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 4/10/25

क्रमांक :- 125/250

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री प्रकारामन्द पुत्र गिरधारी लाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर